न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां
निर्णय वइजलास श्री मन्दकिशोर राजोरा आर.ए.एस. द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–137/2015
दायरा दिनांक :– 07.12.2004
निर्णय दिनांक :–25.09.2019

उनवान

छीतर आत्मज गोपाल जाति ब्राहम्मण सा. देह काल्याखेडी तहसील छबडा जिला बारां

बनाम

1. बबूलाल आत्मज मंगला जाति माली सा. देह खोपर तहसील छबडा
2. मृतक मंगला के कायम मुकामान – 2/1 द्वारकाबाई पुत्री मंगला 2/2 राधाबाई पुत्री मंगला 2/3 गीताबाई पुत्री मंगला 2/4 कैलाश बाई पुत्री मंगला 2/5 रुकमणी बाई पुत्री मंगला जाति माली सा. देह खोपर तहसील छबडा
3. हीरा आत्मज कालू जाति माली सा. देह खोपर तहसील छबडा
4. सूरजमल आत्मज घासीलाल जाति लुहार सा. देह खोपर तहसील छबडा
5. मूलचंद आत्मज जमनालाल जाति लुहार सा. देह खोपर तहसील छबडा
6. किशनालाल उर्फ रामकिशन आत्मज काना जाति लुहार सा. देह खोपर तहसील छबडा
7. मृतक जयनारायण पुत्र घांसीलाल के कायम मुकामान – 7/1 मुरली व दीना पुत्र जयनारायण नाबलिक सरपरस्त माता मंजु 7/2 मंजु बेवा जयनारायण लक्ष्मी ज्योती उर्मला पुत्रीया जयनारायण सरपरस्त माता मंजु

वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक :–25.09.2019

अभिभाषक उपस्थित :– 1.अरविन्द प्रताप सिंह वादी
2. जगदीश चन्द्र नागर प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाद पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगणों के धारा 183 आर.टी.ए. विरूद्ध अप्रार्थीगणों के इस आशय का इस न्यायालय मे पेश किया गया है, , कि ग्राम खोपर तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.) मे भूमिया खाता नम्बर 365 कुल 2 किता आराजीयात मवानी रकबा 6 बिस्वा अवस्थित है, जो वादी के खातेदारी अर्थात् राजस्व भू अभिलेख जमाबन्दी मे दर्ज चली आ रही है। वादी के खाते एवं आधिपत्य मे चली आ रही उक्त वर्णित भूमियों मे से भूमि खसरा नंबर 365 जो कि ग्राम खोपर से लगी हुई एवं छबड़ा सालपुरा सड़क के किनारे अवस्थित है, पर पूर्व में वादी ने कमरा इत्यादि बनवाकर आटा चक्की लगाई तथा वादी ने उसमें बिजली कनेक्शन भी करवाया था।

वादी का आटा चक्की का व्यवसाय ज्यादा दिनो तक नही चलने के कारण वादी ने उक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 365 मे लगी हुई आटा चक्की को बन्द कर दिया और उसमे निर्माणाधीन कच्चा कमरा देख रेख के अभाव मे खण्डहर हो गया और बारिश के कारण उसकी दीवार गिर गई। प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 7 जो कि ग्राम खोपर के निवासी है, और जिनके मकान भी वादी के खाते मे चली आ रही है, उक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 365 के आस–पास ही अवस्थित है, जिन्होने वादी के ग्राम काल्याखेडी मे

उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

Scanned by CamScanner

रहने एवं उक्त भूमि मे निर्माणाधीन कच्चे कमरे का बारिश मे खण्डहर होकर गिर जाने का नाजायज लाभ उठाते हुये माह कार्तिक सम्वत् 2054 मे वादी के खाते एवं आधिपत्य मे चली आ रही उक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 365 पर प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 7 ने जबरन ताकत के बल पर आधिपत्य कर लिया और उसमे गोबर की रेवडिया एव पत्थर इत्यादि डाल दिये।

प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 7 के द्वारा उक्त वर्णित भूमि पर जबरन ताकत के बल पर अधिपत्य कर लेने और उसमें गोबर की रेवडिया तथा पत्थर इत्यादि डाल देने की जानकारी वादी को होने पर वादी ने प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 7 से उक्त वर्णित भूमि से रेवडिया व पत्थर इत्यादि हटाकर वादी को भूमि पर अधिपत्य समलाये जाने का कई मर्तबा अनुरोध किया, किन्तु प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 7 टालम टूल करते चले आ रहे है, अन्तः मे दिनांक 23.06.2004 को वादी ने प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 7 से वादी के खाते की उक्त वर्णित भूमि से अपना अधिपत्य छोड़ने एवं भूमि पर वादी को अधिपत्य समलाये जाने का पुनः अनुरोध किया तो प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 7 ने भूमि से अपना अधिपत्य छोड़ने एवं भूमि पर वादी को अधिपत्य समलाये जाने से कतई इन्कार कर दिया और वादी से लड़ाई–झगड़ा करने को आमादा हो गये तथा निकट भविष्य मे भूमि पर मकान निर्माण करने की भी वादी को धमकी दी।

वादी के खाते एवं अधिपत्य मे चली आ रही उक्त वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 7 को जबरन ताकत के बल पर अवैधानिक तथा गैरकानूनी तरीको से उसमे गोबर की रेवडिया तथा पत्थर इत्यादि डालने का किसी भी प्रकार का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही था। अतः प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 7 उक्त वर्णित भूमि पर बेहिसियत अतिक्रमी के कार्यक्रम होने के कारण वादी, प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 7 को भूमि से बेदखल कराने एवं भूमि पर वादी, अधिपत्य प्राप्त करने का वैधानिक एव कानूनी तौर पर अधिकारी है।

बिनाय मुखास्मत वाद प्रथम बार व माह कार्तिक सम्वत् 2054 में प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 7 के द्वारा भूमि प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 7 के द्वारा भूमि से आधिपत्य छोड़ने एवं वादी को अधिपत्य समलाये जाने से कतई इन्कार कर देने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद डिक्री हेतु निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो को जर्ये सम्मन तलब किया गया चुकि इस नयायालय द्वारा दिनांक 30.05.2011 को वादी का वाद स्वीकार किया गया जिससे प्रतिवादी बाबूलाल अप्रसन्न होकर माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहा अपील पेश की।

माननीय भू प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.05.2011 को अपास्त करते हुए इस दिशा निर्देश के साथ इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है कि प्रतिवादी क्रम 2 मृतक मंगला के कायम मुकामन को नियमानुसार रिकार्ड पर लेकर उन्हे जावबदेही व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्वत तरीके से निर्णय पारित करे। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पुनः प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षकरान को पाबन्द किया गया। वकील प्रर्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत ऑर्डर 022 रूल 4 एवं 151 सी0पी0सी पेश किया साथ ही प्रा0पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट भी पेश किया जिसे स्वीकार किया गया जवाब व साक्ष्य सबूत पेश करने के सम्बन्ध मे वकील प्रतिवादी द्वारा पूर्व मे कराये गये साक्ष्य ही प्रर्याप्त है मूल वाद पर सीधे बहस कराना चाहते है। प्रतिवादी क्रम 4 व 6 वाद सुचना के अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकतारफ कार्यवाही की गयी तथा प्रतिवादी न0 5 व 7 की और से दिनांक 13.04.2005 को इकबाली जवाब पेश हुआ तथा प्रतिवादी न0 1ता 3 की ओर से दिनांक 18.10.2005 को जवाब दावा पेश हुआ। कायम मुकामान की और से अभिभाषक उभयपक्षकरान द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत जवाब एवं साक्ष्य के आधार पर ही सीधे बहस करना चाहते है वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी न0 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर निम्न प्रकार तनकी कायम की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

तनकी नं0 1:— आया कि वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी के मुताबिक खसरा नं0 365 रकबा 3 बिस्वा वाके माल खोपर पर प्रतिवादी नं0 1 वा 7 अतिक्रमी है— वादी उनको बेदखल करवाने का अधिकारी है ?

वादी ....

तनकी नं0 2:— आया कि प्रतिवादी मय बाबूलाल का ग्राम खोपर मे आम रास्ते के सहारे एक बाडा स्थित है जो प्रतिवादी भूमि है। प्रतिवादी मय उक्त वादे मे पूर्वजो के समय से रेवडी डालता था व वर्तमान मे बेलगाडी ट्रेक्टर ट्रोली कृषि कार्य का सामान रखता चला आ रहा है। प्रतिवादी को उक्त बाडे मे सुखाधिकार रहा है।

प्रतिवादी........

तनकी नं0 3:— आया कि विवादित भूमि आबादी होने के कारण माननीय न्यायालय को श्रवणधिकार प्राप्त नही है।

प्रतिवादी.....

तनकी नं0 4:— आया कि प्रतिवादी बाबूलाल द्वारा वादी के विरूद्ध उक्त बाडे बाबत एक वाद सिविल न्यायालय मे पेश किया था उसका वाद पर क्या असर है।

प्रतिवादी....

तनकी नं0 5:— अनुतोषः:—

वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जामाबन्दी ग्राम खोपर तह0 छबडा खाता सं0 52 सं0 2059—2062, नकल मौका पार्चा रिपोर्ट दिनांक 07.08.2004 नकल निर्णय माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश छबडा दिनांक 03.08.2009 बाबूलाल बनाम छीतरलाल दीवानी अपील सं0 21/08,मय डिक्री दिनांक 03.08.2009 छाया प्रति निर्णय दिनांक 01.08.2008 माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व0 खण्ड) छबडा दीवानी वाद सं0 27/04 बाबूलाल बनाम छीतरलाल मय डिक्री पेश किए गये तथा साक्ष्य वादी हेतु छीतरलाल बनाम मदनलाल शपथ पत्र पेश किऐ गये। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे साक्ष्य हेतु बाबूलाल,रामेश्वर रामदयाल के शपथ पत्र पेश किए मये इनके अलावा प्रतिवादी नं0 1 ता 3 द्वारा कोई राजस्व रिकार्ड या दस्तावेज पेश नही किए गये है।

बहस अभिभषकगण उभयपक्षकरान सुनी गयी। बहस के दौरान अभिभाषक प्राथी का कथन है कि ग्राम खोपर तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.) मे भूमि खाता सं. 52 ख. नं. 9 और 365 कुल किता 2 रकबा 6 बिस्वा अवस्थित है, जो वादी के खातेदारी अर्थात् राजस्व भू अभिलेख जमाबन्दी मे दर्ज चली आ रही है। वादी के खाते एवं आधिपत्य मे चली आ रही उक्त वर्णित भूमियों मे से भूमि खसरा नंबर 365 जो कि ग्राम खोपर से लगी हुई एवं छबड़ा सालपुरा सड़क के किनारे अवस्थित है, जिस पर पूर्व में वादी ने कमरा इत्यादि बनवाकर आटा चक्की लगाई जाकर वादी ने उसमें बिजली कनेक्शन भी करवाया था। वादी का आटा चक्की का व्यवसाय ज्यादा दिनो तक नही चलने के कारण वादी ने उक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 365 मे लगी हुई आटा चक्की को बन्द कर दिया और उसमे निर्माणाधीन कच्चा कमरा देख रेख के अभाव मे खण्डहर हो गया और बारिश के कारण उसकी दीवार गिर गई। प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 7 जो कि ग्राम खोपर के निवासी है, और जिनके मकान भी वादी के खाते मे चली आ रही है, उक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 365 के आस—पास ही अवस्थित है, जिन्होने वादी ग्राम काल्याखेडी मे रहने एवं उक्त भूमि मे निर्माणाधीन कच्चे कमरे का बारिश मे खण्डहर होकर गिर जाने का नाजायज लाभ उठाते हुये माह कार्तिक सम्वत् 2054 मे वादी के खाते एवं आधिपत्य मे चली आ रही उक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 365 रकबा 3 बिस्वा पर प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 7 ने जबरन ताकत के बल पर आधिपत्य कर लिया और उसमे गोबर की रेवडिया एव पत्थर इत्यादि डाल दिये। वादी के खाते एवं अधिपत्य मे चली आ रही उक्त वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

भूमि पर प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 7 को जबरन ताकत के बल पर अवैधानिक तथा गैरकानूनी तरीको से उसमे गोबर की रेवडिया तथा पत्थर इत्यादि डालने लगे जिसका किसी भी प्रकार का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही था। अतः प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 7 उक्त वर्णित भूमि पर बेहिसियत अतिक्रमी काविज होने के कारण वादी, प्रतिवादीगणों को क्रम संख्या 1 ता 7 को भूमि से बेदखल कराने एवं भूमि पर वादी अधिपत्य प्राप्त करने का वैधानिक एव कानूनी तौर पर अधिकारी है। अतः प्रार्थी वादीगण को अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर वादी को कब्जा सम्मलाने हेतु तहसीलदार को आदेशित करे।

बहस अभिभाषक प्रतिवादी क्र 1 ता 3 की ओर से अपने कथन मे कहा की प्रतिवादी द्वारा वादी की किसी भी भूमि पर कब्जा नही कर रखा है जबकि वादी की ग्राम खोपर मे कोई भूमि नही है क्योकि वादी ग्राम काल्याखेडी का निवासी है ग्रम खोपर से उसका कोई सरोकार नही है प्रतिवादी बाबूलाल का ग्राम खोपर मे आम रास्ते के सहारे बाडा स्थित है जो अबादी मे है वादी उक्त बाडे मे पूर्वजो के समय से आजतक निरन्तर रूप से रेवडी डालता चला आ रहा है। जबकि प्रतिवादी बाबूलाल व पूर्वज रेवडी डालते थे। वर्तमान मे वादी रेवडी डालता था तथा अपने बेलगाडी हक कुली ट्रेक्टर व ट्रेक्टर के समान रखने के उपयोग मे लेता चला आ रहा है जिसको प्रतिवादी को उक्त बाडे पर सुखाधिकार प्राप्त हो चुके है। वादी द्वारा प्रतियादी बाबूलाल के कब्जेसुधा बाडे से जबरन बलपूर्वक कब्जा कर हटाने कि कोशिश कर रहा है जिसका एकवाद न्यायालय ए0सी0जे0एम मे जेरकार है। जबकि एक ही सम्पत्ति से सम्बन्धित वाद पूर्व मे जेरकार है तो बाद मे माननीय न्यायालय मे पेश किया गया बाद पूर्व मे पेश वाद के जेरकार रहते हुए केवल खारिजी है

बहस अभिभाषकगण उभयपक्षकरान सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का आवलोकन किया गया। बहस अभिभाषकगण उभयपक्षकरान सुनने एवं मनन करने तथा पत्रावली मे प्रस्तुत रिकार्ड का अध्ययन उपरान्त वादी के वाद का निस्तारण तनकी वार निम्न प्रकार किया जाता है।

तनकी नं0 1:- इस तनकी को साबित करने का भार वादी का है। मुताबिक नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर तह0 छबडा खाता सं0 52 सम्वत 2059-2062 अनुसार खसरा नं0 9 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं0 365 रकबा 3 बिस्वा भूमि वादी छीतर पुत्र गोपाल जाति ब्रा0 सां काल्याखेडी खोतेदारी मे दर्ज होना पाया जाता है। मुताबिक नकल मोका पर्चा पटवारी हल्का खोपर दिनांक 07.08.2004 के अनुसार ग्राम खोपर के खसरा नं0 365 की 3 बिस्वा भूमि वादी छीतर पुत्र गोपाल ब्रा0 की खातेदारी होना तथा उक्त भूमि पर वादी छीतर ने कुद वर्षो पहले आटा चक्की लगाई जाना बताया है जिस पर मंगला पुत्र कालू मीणा निवासी खोपर ने गोबर की रेवडी डालना पटवारी हल्का ने मौका पर्चा मे बताया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पर वादी के खातेदारी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर रखा है जो अतिक्रमण की श्रेणि मे आता है। वादी वादग्रस्त आराजी पर से प्रतिवादीगण को बेदखल करवाने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2:- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी का है। मुताबिक नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर तह0 छबडा खाता सं0 52 एवं मोका पर्चा पटवारी हल्का खोपर अनुसार भूमि खसरा नं0 365 रकबा 3 बिस्वा ग्राम खोपर में वादी द्वारा कुछ वर्षो पहिले आटा चक्की लगगाई थी इस समय पर जगह पडत होना बताया है। साथ ही पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट मे उक्त आराजी पर मंगला पुत्र कालु मीणा निवासी खोपरद्वारा गोबर की रेवडी डाल रखी होना बताया है। इस सम्बन्ध मे प्रतिवादी नं0 1 बाबूलाल द्वारा एक दीवानी वाद सं0 27/04 बाबूलाल बनाम छीतरलाल माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व खण्ड) छबडा मे दायरकिया गया जो माननीय न्यायालय के निर्णय डिक्री दिनांक 01.08.2008 से खारिज किया जा चुका है। उक्त निर्णय की अपील प्रतिवादी नं0 1 बाबूलाल द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश छबडा मे दीवानी अपील सं0 21/08 बाबूलाल बनाम छीतरलाल दायर की गई थी जिसमं माननीय न्यायालय अपर

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारॉं (राज.)

Scanned by CamScanner

जिला न्यायधीश छबड़ा के निर्णय डिक्री दिनांक 03.08.2009 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई है। इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादी विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादी को है। इस तनकी से सम्बन्धित बिन्दुओ का विश्लेषण तनकी नं0 2 मे किया जा चुका है। वादी द्वारा इस न्यायालय मे एक वाद धारा 183 आर0टी0ए0 के तहत प्रस्तुत किया है जो इस न्यायालय के श्रवणाधिकार का है वादग्रस्त आराजी वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है जिस पर प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। वादी उनको बेदखल करवाने का अधिकारी है। अतः सह तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादी को है। मुताबिक छाया प्रति नकल निर्णय माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व.खण्ड) छबड़ा दिनांक 01.08.2008 से बाबूलाल पुत्र मंगला का वाद खारीज किया जा चुका है। जिसके तहत बाबूलाल इस वाद मे कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः यह तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5:– अनुतोष

उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादी वादग्रस्त आराजी पर अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

: क्रियात्मक आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। मुताबिक नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर तह0 छबडा खाता सं0 52 सम्वत 2059–2062 अनुसार खसरा नं0 365 रकबा 3 बिस्वा जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे की भूमि पर प्रतिवादी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजी पर से प्रतिवादी नं0 1ता 7को बेदखल कर वादी को मौके पर कब्जा संभलाने हेतु तहसीलदार को अदेषित किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला सुमार होकर वाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी)
छबड़ा जिला बारां (राज.)
उपखण्ड अधिकारी छबड़ा

Scanned by CamScanner